

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025


संख्या: 1/सी0-1030/2025-सा0प्र0-२२५३/भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2026 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर-वेतन स्तर-13-रु.1,23,100-2,15,900/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन /प्रभार
1.	श्री नवल किशोर चौधरी(2013)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर ।
2	श्री सुब्रत कुमार सेन(2013)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।
3	श्रीमती शैलजा शर्मा(2013)	अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
4	श्री धर्मेन्द्र कुमार (2013)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) ।
5	श्री नवदीप शुक्ला(2013)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बांका ।
6	श्रीमती रंजिता (2013)	निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना)
7	श्री आनन्द शर्मा(2013)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी ।
8	श्रीमती छिरिड वार्ड.भूटिया(2013)	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।
9	श्री नवीन (2013)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई ।
10	श्री जय प्रकाश सिंह(2013)	निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
11	श्री सत्य प्रकाश शर्मा (2013)	अपर सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।
12	श्री उपेन्द्र प्रसाद(2013)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ।
13	श्री अरूणाभ चन्द्र वर्मा (2013)	अपर सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना ।

14	श्रीमती गीता सिंह (2013)	अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
15	श्री अरूण कुमार झा (2013)	बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया।
16	श्री नन्द किशोर साह (2013)	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
17	श्री नवीन कुमार सिंह(2013)	अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
18	श्री कमलेश कुमार सिंह (2013)	निदेशक, भू-अर्जन, बिहार, पटना।
19	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव(2013)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड,पटना।
20	डॉ. विद्या नन्द सिंह (2013)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर।
21	श्री शैलेन्द्र कुमार (2013)	अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।
22	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह(2013)	अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।
23	श्री सुनील कुमार-1 (2013)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर,(भभुआ)
24	श्री पवन कुमार सिन्हा (2013)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज।
25	श्री महावीर प्रसाद शर्मा (2013)	अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
26	श्री मनोज कुमार (2013)	बंदोबस्त पदाधिकारी, नवादा।
27	श्रीमती अंजुला प्रसाद (2013)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

2. विभिन्न विभागों में अपर सचिव का प्रभार धारण करने वाले पदाधिकारी विशेष सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से विशेष सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मो. साहू)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:1/सी0-1030/2025-२२५३१/पटना-15,दिनांक ०३ दिसम्बर,2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार

राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन, नई दिल्ली /संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन, नई दिल्ली/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन, नई दिल्ली/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.),बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. भा0प्र0से0(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(I) के तहत अधिसूचना के क्रमांक-15, 19 एवं क्रमांक-26 के पदाधिकारी (क्रमशः श्री अरुण कुमार झा , राजीव कुमार श्रीवास्तव एवं श्री मनोज कुमार) द्वारा वर्तमान धारित पद को उक्त पद पर उनके पदस्थापनकाल तक के लिए भा0प्र0से0 के विशेष सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है ।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

सरकार के सचिव
30/11/20